UPSI010101242019

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट सं0–2 सीतापुर।
उपस्थित– महेन्द्र सिंह–IV, एच0जे0एस0–UP 6113

प्रकीर्ण दीवानी वाद संः 87 / 2019
सी0आई0एस0नं0–93 / 2019

1–उपेन्द्र जायसवाल आयु 29 वर्ष पुत्र स्व0 श्रीराम जायसवाल निवासी ग्राम दुगाना परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर।

———————————— प्रार्थी / आवेदक।

बनाम

1–सम्पत्ति स्व0 श्रीराम जायसवाल पुत्र स्व0 परमेश्वरदीन निवासी ग्राम दुगाना परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर।
2–श्रीमती सुखरानी आयु 70 वर्ष विधवा स्व0 श्री राम जायसवाल(मृतक दौरान मुकदमा) जो अपने जीवनकाल में प्रस्तुत वाद में उपस्थित हो चुकी थी।
3–निधि जायसवाल आयु 35 वर्ष पत्नी श्री उपेन्द्र जायसवाल(पूर्व विधवा स्व0 श्री शिव गोपाल जायसवाल)
4–कु0 जाग्रति जायसवाल आयु 6 वर्ष अवयस्क पुत्री स्व0 शिव गोपाल जायसवाल अंतर्गत एवं द्वारा संरक्षिका श्रीमती निधि जायसवाल(प्राकृतिक माता एवं नैसर्गिक संरक्षिका) द्वारा संरक्षिका श्रीमती निधि जायसवाल।
5–कु0 स्मृति जायसवाल आयु 4 वर्ष अवयस्क पुत्री स्व0 शिव गोपाल जायसवाल अंतर्गत एवं द्वारा संरक्षिका श्रीमती निधि जायसवाल(प्राकृति माता एवं नैसर्गिक संरक्षिका) द्वारा संरक्षिका श्रीमती निधि जायसवाल।
सर्व निवासी ग्राम दुगाना परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर।
6–श्रीमती पूनम आयु लगभग 43 वर्ष पत्नी श्री सत्य प्रकाश पुत्री स्व0 श्रीराम जायसवाल निवासिनी जैदपुर परगना सदर तहसील व जिला बाराबंकी।
7–श्रीमती रश्मि आयु 41 वर्ष पत्नी श्री दीपू निवासिनी ग्राम बांसुरा परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर।
8–श्रीमती अंजलि जायसवाल उर्फ मुन्नी देवी आयु लगभग 40 वर्ष पत्नी श्री नीरज पुत्री स्व0 श्रीराम जायसवाल निवासिनी पिपलिया तहसील महेश्वर जिला खरगौन(मध्य प्रदेश)–451225
9–श्रीमती विजय लक्ष्मी आयु लगभग 35 वर्ष पत्नी श्री रजनीश गुप्ता पुत्री स्व0 श्रीराम जायसवाल निवासिनी न्यू टीचर कालोनी लखीमपुर तहसील लखीमपुर जिला खीरी।
10–श्रीमती आरती जायसवाल आयु 30 वर्ष पत्नी श्री पंकज जायसवाल पुत्री स्व0 श्रीराम जायसवाल निवासिनी 372, गदियाना आलमनगर निकट दुर्गा देवी मंदिर चौराहा सीतापुर परगना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुर।
11–इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर द्वारा शाखा प्रबंधक।

———————————— विपक्षीगण।

प्रार्थनापत्र अं0धारा–278 भारतीय
उत्तराधिकार अधि0 1925 बाबत निर्गत
किये जाने प्रशासन पत्र लाकर नं0–40
स्थित इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर
तहसील लहरपुर जिला सीतापुर।

06–05–2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क1

आवेदक उपेन्द्र जायसवाल की ओर से 3क प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के पिता स्व0 श्रीराम जायसवाल एवं भाई शिव गोपाल जायसवाल ग्राम दुगाना परगना लहरपुर जिला सीतापुर के स्थाई निवासी थे तथा श्रीराम जायसवाल एवं श्री शिव गोपाल जायसवाल के नाम इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर में लाकर नं0–40 आबंटित है, जो न्यायालय श्रीमान जी के भौमिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। स्व0 श्रीराम जायसवाल की वंशावली दर्शित है। श्रीराम जायसवाल के एक पुत्री दुर्गेश कुमारी थी, जो मानसिक रूप से अशक्त थी। विगत 10 वर्षो से अधिक समय से लापता हो चुकी है, जिनका कोई अता पता नहीं मिला। परिणामतः परिवार ने भी उन्हें जीवित न होना उपधारित कर लिया है। दुर्गेश कुमारी को तदनुसार जीवित न होना उपधारित किये जाने योग्य है। श्रीराम जायवाल का देहान्त दिनांक 4–3–2017 को ग्राम दुगाना परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर में हो गया है। श्रीराम जायसवाल के बड़े पुत्र शिव गोपाल का देहान्त दिनांक 5–6–2017 को हो गया था। शिव गोपाल जायसवाल के दो पुत्रियां कु0 जाग्रति एवं कु0 स्मृति हैं, जो अपनी प्राकृतिक मां श्रीमती निधि जायसवाल की अभिरक्षा एवं संरक्षिका में हैं। श्रीमती निधि ने बिरादरी में प्रचलित परम्परा के अनुसार दिनांक 20–10–2018 को आर्य समाज रीति से आवेदक उपेन्द्र जायसवाल के साथ पुर्नविवाह कर लिया और विवाह का पंजीकरण भी हो चुका है। परिणामतः श्रीमती निधि, जो शिव गोपाल की पूर्व विधवा थी, आवेदक की धर्म पत्नी हो गयी है और पत्नी के रूप में आवेदक के साथ रह रही है। आवेदक कु0 जाग्रति एवं कु0 स्मृति का चाचा होने के साथ–साथ सौतेला पिता भी है और अपने परिवार की परवरिश सही रूप से कर रहा है। आवेदक मृतक श्रीराम का पुत्र एवं निकटतम उत्तराधिकारी है और परिवार का विश्वास पात्र पुरूष सदस्य है। प्रार्थी/आवेदक कई अवसरों पर अपने पिता के साथ लकार संचालित कराने हेतु इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर जाता था। श्रीमती सुखरानी का देहान्त वाद के लम्बनकाल में दिनांक 30–5–2021 को हो गया है जो अपने जीवनकाल में प्रस्तुत वाद में न्यायालय में उपस्थित होकर अनापत्ति वाद

में दाखिल कर चुकी थीं। आवेदक के पिता श्रीराम व भाई श्री शिव गोपाल जायसवाल के नाम जो लाकर नं0–40 इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर में है, में रखे सामान का अनुमानित विवरण अनुसूची–क में दिया जा रहा है। न्यायालय द्वारा एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति करके आवेदक व बैंक अधिकारी के समक्ष लाकर नं0–40 को खुलवाकर उसमें पाये जाने वाले सामान की पूर्ण रूप से अंतिम सूची बनवाकर व तदनुसार मूल्यांकन करवाकर न्यायालय श्रीमान में आख्या सहित प्रस्तुत कर दी जाय, जिस पर देय स्टाम्प न्याय शुल्क अदा करने की प्रतिबद्धता आवेदक द्वारा दी जा रही है। आवेदक ने किसी अन्य न्यायालय में कोई भी आवेदन पत्र प्रश्नगत लाकर नं0–40 इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर के संबंध में प्रशासन प्रार्थनापत्र नहीं दिया है। श्रीराम जायसवाल पुत्र स्व0 परमेश्वरदीन का स्थाई एवं अंतिम निवास ग्राम दुगाना परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर था, जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में आता है। इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर जनपद सीतापुर जिसमें लाकर नं0–40 स्थित है, भी न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आवेदक की मां श्रीमती सुखरानी जो भी प्रश्नगत लाकर नं0–40 में अपने पति स्व0 श्रीराम जायसवाल की उत्तराधिकारी है, ने आवेदक को प्रश्नगत लाकर का प्रशासन पत्र प्राप्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। अतः प्रार्थना है कि इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर में स्थित बैंक लाकर नं0–40 जो श्रीराम जायसवाल पुत्र स्व0 परमेश्वरदीन एवं श्री शिवगोपाल जायसवाल पुत्र स्व0 श्रीराम के नाम आबंटित है का प्रशासन पत्र (Letter of Administration) प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थी के नाम जारी किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र सूची 5ग से प्रमाणित प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर श्रीराम जायसवाल, छायाप्रति प्रमाणपत्र लाकर, छायाप्रति लाकर की चाभी, प्रमाणपत्र बाबत कु0 दुर्गेश कुमार पुत्र स्व0 श्रीराम, सत्यापित छायाप्रति मृत्यु प्रमाणपत्र श्रीराम जायसवाल, सत्यापित छायाप्रति मृत्यु प्रमाणपत्र शिव गोपाल, विवाह प्रमाण आर्य समाज की छायाप्रति, छायाप्रति विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत की गयी हैं।

विपक्षी सं0–2 श्रीमती सुखरानी की ओर से अनापत्ति पत्र कागज सं0–21ग2 प्रस्तुत की गयी है जिसमें कथन किया गया है कि विपक्षी सं0–2 के पति श्रीराम जायसवाल व पुत्र शिव गोपाल जायसवाल के नाम एक लाकर सं0–40 इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर में आबंटित है। प्रार्थिनी के पति श्रीराम

जायसवाल का देहान्त दिनांक 4–3–2017 को तथा पुत्र शिव गोपाल जायसवाल का देहान्त दिनांक 5–6–2017 को हो गया है। शिव गोपाल जायसवाल की विधवा श्रीमती निधि जायसवाल ने अपना पुनर्विवाह बिरादरी में प्रचलित परम्परा के अनुसार विपक्षी के पुत्र उपेन्द्र जायसवाल के साथ कर लिया है। शिव गोपाल जायसवाल व श्रीमती निधि जायसवाल से उत्पन्न दो पुत्रियां क्रमशः कु0 जाग्रति व कु0 स्मृति जो श्रीमती निधि जायसवाल की संरक्षकता में हैं, भलीभांति निधि जायसवाल व उपेन्द्र जायसवाल के साथ रह रही हैं। विपक्षी सं0–2 की एक पुत्री दुर्गेश कुमारी जो मानसिक रूप से अशक्त थी, विगत 10 वर्षो से लापता है, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला है और लापता है। इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर में जो लाकर नं0–40 विपक्षी सं0–2 के पति श्रीराम जायसवाल व पुत्र शिव गोपाल जायसवाल के नाम है, उसका प्रशासन पत्र विपक्षी सं0–2 के कनिष्ठ पुत्र उपेन्द्र जायसवाल ने अपने पक्ष में जारी किये जाने का आदेश किया है। इस संबंध में विपक्षी सं0–2 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना है कि लाकर सं0–40 इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर के संबंध में प्रशासन पत्र विपक्षी सं0–2 के पुत्र उपेन्द्र जायसवाल के नाम जारी कर दिया जावे, विपक्षी सं0–2 को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी सं0–2 श्रीमती सुखरानी की ओर से 22ग2 शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी सं0–6 श्रीमती पूनम, विपक्षी सं0–7 श्रीमती रश्मि, विपक्षी सं0–8 श्रीमती अंजलि जायसवाल पर तामीला पर्याप्त है, लेकिन इन्होंने कोई आपत्ति दाखिल नहीं किया है। विपक्षी सं0–9 श्रीमती विजय लक्ष्मी ने सम्मन लेने से इंकार किया है और विपक्षी सं0–10 श्रीमती आरती जायसवाल के पति द्वारा सम्मन प्राप्त किया गया है। इस प्रकार सभी विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त है, लेकिन इनकी ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

पत्रावली पर सूची 27ग से सत्यापित छायाप्रति मृत्यु प्रमाणपत्र श्रीमती सुखरानी प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार श्रीमती सुखरानी की मृत्यु दिनांक 03–05–2021 को हो चुकी है। पत्रावली पर कागज सं0–30क रिपोर्ट कमिश्नर उपलब्ध है एवं कागज सं0–31क स्थल कार्यवाही उपलब्ध है। पत्रावली पर कागज सं0–33ग2 वैलुअर राज कुमार रस्तोगी को मूल्यांकन नियुक्त किये जाने का प्रार्थनापत्र तथा कागज सं0–37ग2 मूल्यांकक आख्या उपलब्ध है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच द्वारा वर्णित केस लॉ 2015(127)RD 498 में कथन किया गया है कि–साधारणतया भारतीय

उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 213 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को वसीयत के प्रोबेट की आवश्यकता नहीं हो सकती है, परन्तु उसे अन्य प्रयोजनों के लिये उसकी आवश्यकता हो सकती है।

प्रार्थी के उपरोक्त प्रोबेट प्रार्थनापत्र/लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के विरूद्ध किसी विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा पारिवारिक सम्पत्ति का प्रकरण है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर विपक्षी सं0–2 श्रीमती सुखरानी की अनापत्ति एवं शपथपत्र उपलब्ध है जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया है कि लाकर सं0–40 इलाहाबाद बैंक शाखा लहरपुर के संबंध में प्रशासन पत्र विपक्षी सं0–2 के पुत्र उपेन्द्र जायसवाल के नाम जारी कर दिया जावे, विपक्षी सं0–2 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी/आवेदक की ओर से प्रशासन पत्र (Letter of Administration) प्रार्थी के पक्ष में जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं हुई है, बल्कि विपक्षी सं0–2 की ओर से अनापत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक का प्रार्थनापत्र 3क1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक उपेन्द्र जायसवाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 3क1 वास्ते प्रशासन पत्र (Letter of Administration) स्वीकार किया जाता है।

उचित न्यायशुल्क अदा करने के उपरांत आवेदक के पक्ष में नियमानुसार प्रशासन पत्र (Letter of Administration) जारी हो।

दिनांकः 06–05–2026

(महेन्द्र सिंह–IV)
अपर जिला जज, कोर्ट सं0–2,
सीतापुर।
JO CODE UP-6113

कृष्ण/

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.05.06 17:24:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court sitapur